

उ०प्र० आवास विकास परिषद की

आगरा जोन के अन्तर्गत
सिकन्दरा, खुर्जा एवं
फिरोजाबाद

की सम्पत्तियों का

आवंटन/नीलामी

आवंटन/
नीलामी तिथि :

02.03.2019

समय :

प्रातः 11.00 बजे



नीलामी स्थल :

**आफिस कॉम्प्लैक्स (भू-तल), सेक्टर-13
आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा, आगरा**

आवंटन द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियां

सेक्टर संख्या	सम्पत्ति श्रेणी/प्रकार/सम्पत्ति संख्या	कुल रिक्त सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य/आरक्षित मूल्य (फ्री-होल्ड सहित) रु. लाख में/प्र.व.मी.	निर्धारित टोकन धनराशि
खुर्जा योजना					
3	दुर्बल आय वर्ग	(18/40, 01 नग) 3/356 (कार्नर)	97.86 व.मी.	रु. 14.65 लाख	रु. 73300.00
5	दुर्बल आय वर्ग	(18/40, 02 नग) 5/140, 5/137	41.30 व.मी.	रु. 7.70 लाख	रु. 38500.00
5	दुर्बल आय वर्ग	(18/40, 01 नग) 5/174/1	47.24 व.मी.	रु. 9.02 लाख	रु. 45100.00
5	दुर्बल आय वर्ग	(18/40, 01 नग) 5/146	62.63 व.मी.	रु. 10.55 लाख	रु. 52800.00
5	दुर्बल आय वर्ग	(18/40, 01 नग) 3/281	41.30 व.मी.	रु. 8.27 लाख	रु. 41400.00
3	अल्प आय वर्ग भवन	(29/60, 02 नग) 3/403, 3/96	62.63 व.मी.	रु. 14.24 लाख	रु. 71200.00
4	अल्प आय वर्ग भवन	(29/60, 01 नग) 4/182	60.59 व.मी.	रु. 12.68 लाख	रु. 63400.00

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियां

सेक्टर संख्या	सम्पत्ति श्रेणी/प्रकार/सम्पत्ति संख्या	कुल रिक्त सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य/आरक्षित मूल्य (फ्री-होल्ड सहित) रु. लाख में/प्र.व.मी.	निर्धारित टोकन धनराशि
फिरोजाबाद योजना					
1	अ.आ.व. भवन सं.-1/469 (कार्नर) के साथ लगी अतिरिक्त भूमि		15.68 व.मी.	रु. 18480 प्र.व.मी.	रु. 14500.00

नोट : निर्धारित तिथि को प्रस्तावित आवंटन/नीलामी में सिकन्दरा योजना, आगरा के सेक्टर-13सी में नव विकसित/ऑफर 07 नग बड़े आवासीय/भूखण्डों का तथा कृष्ण विहार योजना सं.-02 बी.एस.ए. पॉकेट मथुरा में नव विकसित/ऑफर 06 नग छोटे आवासीय भूखण्डों तथा 04 नग व्यावसायिक भूखण्डों का नियमानुसार लाटरी द्वारा आरक्षण निर्धारित किया जायेगा।

सिकन्दरा योजना, आगरा

सम्पत्ति का प्रकार एवं श्रेणी	क्षेत्रफल (व०मी० में)	आरक्षित दर प्र.व.मी.	कुल मूल्य (रु. लाख में)	टोकन धनराशि
अल्प आय वर्ग भवन सं.-622 सेक्टर-5 से लगी अतिरिक्त भूमि (सामान्य)	35.15	रु. 22400.00	रु. 7.78	रु. 39500.00

नोट : अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-29, आगरा द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार अल्प आय वर्ग भवन संख्या-622 सेक्टर-5 के साथ लगी अतिरिक्त भूमि केवल उक्त भवन के आवंटन को ही नियमानुसार आवंटित की जायेगी।

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली व्यावसायिक सम्पत्तियां

सेक्टर संख्या/ब्लाक	सम्पत्ति श्रेणी/प्रकार/सम्पत्ति संख्या	कुल रिक्त सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य/आरक्षित मूल्य (फ्री-होल्ड सहित) रु. लाख में/प्र.व.मी.	निर्धारित टोकन धनराशि
कमलानगर आगरा योजना					
एफ	दुकानें	(04 नग) एफ-958/6, 958/7, 958/1, 958/8	10.39 से 11.61 व.मी.	रु. 9.43 से 10.53 लाख तक प्रति नग	रु. 95000.00 से रु. 106000.00 तक
सिकन्दरा योजना, आगरा					
16	दुकानें	(02 नग) एस-4, एस-11	8.88 से 12.60 व.मी.	रु. 5.69 से 7.36 लाख तक प्रति नग	रु. 56900.00 से रु. 73600.00 तक
1	दुकानें	(02 नग) दुकान नं०-28/1, 26/1	7.88 व.मी.	रु. 6.36 लाख	रु. 63600.00
	व्याव० भूखण्ड	8/कॉम-3/2 (कार्नर)	60.08 व.मी.	रु. 49280/- प्र.व.मी.	रु. 296100.00
1	शापिंग प्लेट फार्म	1/एस.ए.-1 (कार्नर), 1/एस.ए.-2 से 1/एस.ए.-20 तक	5.75 व.मी. से 15.37 व.मी.	रु. 44800/- प्र.व.मी. से रु. 49280/- प्र.व.मी.	रु. 25800.00 से रु. 75800.00 तक
फिरोजाबाद योजना					
4	यूटिलिटी भूखण्ड	4/यूटी-1 (कार्नर)	76.11 व.मी.	रु. 36960/- प्र.व.मी.	रु. 281400.00
4	यूटिलिटी भूखण्ड	4/यूटी-2 (कार्नर)	66.75 व.मी.	रु. 36960/- प्र.व.मी.	रु. 246800.00
4	कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड	4/सीएस-2, 4/सीएस-4, 4/सीएस-3, 4/सीएस-5	67.95 व.मी.	रु. 33600/- प्र.व.मी.	रु. 228400.00
4	कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड	4/सीएस-1	68.25 व.मी.	रु. 33600/- प्र.व.मी.	रु. 229400.00
4	कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड	4/सीएस-6, 4/सीएस-7, 4/सीएस-8	66.75 व.मी.	रु. 33600/- प्र.व.मी.	रु. 224300.00
4	कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड	4/सीएस-9 (कार्नर)	41.72 व.मी.	रु. 36960/- प्र.व.मी.	रु. 154200.00

सामान्य नियम व शर्तें

- नीलामी सम्बन्धी कार्यवाही हेतु आवेदक 11.00 बजे तक टोकन प्राप्त कर सकते हैं। 11.00 बजे के बाद टोकन हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं किया जायेगा। 11.00 बजे के बाद से आवंटन/नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी। अतः आवेदक समय से टोकन प्राप्त कर लें।
- समस्त सम्पत्तियों की आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- सम्पत्ति आवंटन सम्बन्धी आवेदन पत्र का प्रारूप निःशुल्क एवं नीलामी में भाग लेने विषयक सील्ड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु. 100/- जमा कर सम्बन्धित शहर/ योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- सम्पत्तियों संबंधी विस्तृत जानकारी सम्बन्धित शहर/ योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत टोकन धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/NEFT के माध्यम से जो “उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद” के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो जमा कर टोकन प्राप्त करना/सील्ड बिड के साथ जमा करना होगा।
- सम्पत्ति आवंटन/नीलामी सम्बन्धी नियम व शर्तों एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट www.upavp.com से प्राप्त की जा सकती है।
- नीलामी से निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों की बोली स्वीकृति के पश्चात परिषद विनियमों में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार ही कटौती की जायेगी।
- आवंटित सम्पत्ति के स्वीकृत मूल्य पर आवेदक को शासनादेश के अनुसार आयकर/जी.एस.टी. अलग से भुगतान करना होगा।
- सम्पत्तियों के आवंटन के पश्चात नियमानुसार कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा। सम्पत्ति जहां है जैसे है के आधार पर आवंटित की जायेगी।
- आवंटन सम्बन्धी आवेदन पत्र आवंटन/नीलामी की निर्धारित तिथि से दो दिन पूर्व तथा सील्ड बिड निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में प्राप्त की जायेगी।

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए

जन-सुविधा केन्द्र

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं। डायल करें :

1800-180-5333 (टोल-फ्री) 0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

IS 15700 : 2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सेवोत्तम प्रमाणित

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.in> E-mail : info@upavp.com

